

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जारी हु

15.3.24


पत्रावली जेश हुई

पार्सी अधिवक्ता उपस्थित।

चूंकि उक्त आवेदन के मूल वाद में पार्सी
अधिवक्ता द्वारा No Instruction ~~दिए~~
Plead करने पर वाद खारिज किया
जा चुका है।

अतः मूल वाद के खारिज होने
पर उक्त आवेदन का कोई अपेक्षाकृत
अस्तित्व नहीं होने से आवेदन भी
खारिज किया जाता है तथा साथ ही
पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को
समाप्त किया जाता है।

पत्रावली राखिल रहता है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

संवासे